

देशी शराब/विदेशी मदिरा/वियर की फुटकर दुकानों के लाइसेन्स के लिए दिये जाने वाले आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र
(एक से अधिक आवेदक होने की दशा में दोनों आवेदकों द्वारा अलग-अलग शपथ पत्र दिये जायेंगे।)

- मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी आयु
- वर्ष निवासी शपथ पूर्वक अभिकथन करता हूँ कि :
- 1— यह कि शपथकर्ता ने देशी शराब/विदेशी मदिरा/वियर की फुटकर बिक्री की दुकान थाना..... तहसील जनपद सुलतानपुर के लाइसेन्स हेतु आवेदन पत्र दिया है।
 - 2— यह कि शपथकर्ता ने लाइसेन्स की शर्त और प्रतिबन्धों को पूरी तरह से समझ लिया है और यदि आवेदित दुकान उसे आवण्टित हो जाती है तो वह नियमों, लाइसेन्स की शर्तों और लाइसेंसिंग प्राधिकारी, द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले अन्य निर्देशों का पालन करेगा।
 - 3— यह कि शपथकर्ता भारत का नागरिक है।
 - 4— यह कि शपथकर्ता की आयु 21 वर्ष से अधिक है।
 - 5— यह कि शपथकर्ता न तो सरकारी अथवा लोकदेयों का बकायेदार है, न ही उसका नाम काली सूची में है, और न ही उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम-1910 के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत उसे आबकारी लाइसेन्स धारण करने से विवर्जित किया गया है।
 - 6— यह कि शपथकर्ता व उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उसे उ0प्र0 आबकारी अधिनियम-1910 अथवा स्वापक एवं मनः प्रभावी अधिनियम-1985, अथवा तत्समय लागू किसी अन्य विधि अथवा संज्ञेय और गैर जमानती अपराध में दोषी नहीं पाया गया है।
 - 7— यह कि यदि शपथकर्ता का चयन लाइसेन्स स्वीकृति के लिए हो जाता है तो वह जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र अनुज्ञापन स्वीकृति के 30 दिन के अन्दर प्रस्तुत कर देगा।
 - 8— यह कि शपथकर्ता के पास समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली-1968, के प्राविधानों के अनुसार दुकान खोलने के लिए उपयुक्त परिसर है/किराये पर उपयुक्त परिसर लेने की व्यवस्था है। (जो लागू न हो उसे काट दिया जाय) प्रस्तावित परिसर किसी विधि या नियमों के प्रतिकूल नहीं बनाया गया है।
 - 9— यह कि शपथकर्ता किसी विक्रेता अथवा प्रतिनिधि जिसकी आपराधिक पृष्ठभूमि हो अथवा जो संक्रामक या छूआछूत की बीमारी से ग्रस्त हो अथवा जो 21 वर्ष से कम आयु का हो, अथवा महिला हो, को नियुक्त नहीं करेगा।
 - 10— यह कि शपथकर्ता हैसियतदार व्यक्ति है और उसके पास आवेदित दुकान के संचालन हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध है। शपथकर्ता ने इस हेतु आवश्यक वित्तीय व्यवस्था कर ली है। लाइसेन्स प्राधिकारी द्वारा मांगे जाने पर शपथकर्ता द्वारा पूर्ण विवरण उपलब्ध करा देगा।
- यह कि प्रस्तर 1 से 10 तक की विषयवस्तु मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही व सत्य है। किसी तथ्य को छिपाया नहीं गया है।

स्थान —

शपथकर्ता

समक्ष

आबकारी अधिकारी

शपथ-पत्र

- मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी
- आयु वर्ष निवासी शपथ पूर्वक अभिकथन करता हूँ कि :
- 1- यह कि शपथकर्ता ने देशी शराब/विदेशी मदिरा/वियर की फुटकर बिक्री की दुकान थाना तहसील जनपद सुलतानपुर के लाइसेन्स / हेतु आवेदन पत्र दिया है।
 - 2- यह कि शपथकर्ता ने लाइसेन्स की शर्त और प्रतिबन्धों को पूरी तरह से समझ लिया है और यदि आवेदित दुकान उसे आवण्टित हो जाती है तो वह नियमों, लाइसेन्स की शर्तों और लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले अन्य निर्देशों का पालन करेगा।
 - 3- यह कि शपथकर्ता भारत का नागरिक है।
 - 4- यह कि शपथकर्ता की आयु 21 वर्ष से अधिक है।
 - 5- यह कि शपथकर्ता न तो सरकारी अथवा लोकदेयों का बकायेदार है न ही उसका नाम काली सूची में है और न ही उ0प्र0 आबकारी अधिनियम 1910 के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत उसे आबकारी लाइसेन्स धारण करने से विवर्जित किया गया है।
 - 6- यह कि शपथकर्ता व उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उसे उ0प्र0 आबकारी अधिनियम 1910 अथवा स्वापक एवं मनः प्रभावी अधिनियम 1985 अथवा तत्समय लागू किसी अन्य विधि अथवा संज्ञेय और गैर जमानती अपराध में दोषी नहीं पाया गया है।
 - 7- यह कि शपथकर्ता का चयन लाइसेंस/ की स्वीकृति के लिए हो जाता है। तो वह जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्मित चरित्र प्रमाण -पत्र अनुज्ञापन स्वीकृति के 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करेगा।
 - 8- यह कि शपथकर्ता के पास के पास समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली 1968 के प्राविधानों के अनुसार दुकान खोलने के लिए उपयुक्त परिसर है/अथवा किराये पर उपयुक्त परिसर को लेने की व्यवस्था है (जो लागू न हो उसे काट दिया जाय) प्रस्तावित परिसर किसी विधि या नियमों के प्रतिकूल नहीं बनाया गया है।
 - 9- यह कि शपथकर्ता किसी विक्रेता अथवा प्रतिनिधि जिसकी आपराधिक पृष्ठभूमि हो अथवा जो संक्रामक अथवा छुआछूत की बीमारी से ग्रस्त हो अथवा 21 वर्ष से कम आयु का हो अथवा महिला हो को नियुक्त नहीं करेगा।
 - 10- यह कि शपथकर्ता हैसियतदार व्यक्ति है और उसके पास आवेदित दुकान के संचालन हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध है शपथकर्ता ने इस हेतु आवश्यक वित्तीय व्यवस्था कर ली है लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा मांगे जाने पर शपथकर्ता द्वारा पूर्ण विवरण उपलब्ध करा देगा।
 - 11- यह कि शपथ-पत्र सत्य एवं सही है इसमें कुछ छिपाया नहीं गया है। इन्हें मैं सत्य होने की सत्यता प्रमाणित कर्ता हूँ।

स्थान

शपथकर्ता

